



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222668
CG-DL-E-22102020-222668

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3337]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942

No. 3337]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3765(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट NH44 के कि.मी. 53 कि.मी. से 54.516 कि.मी., NH44 के कि.मी. 65.85 कि.मी. से 86.38 कि.मी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH44 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला राजस्व अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 के कि.मी. 53 से 54.516 तक	हरियाणा	सोनीपत	राई	1 कुंडली

2	जिला राजस्व अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH44 के कि.मी. 65.85 से 86.38 तक	हरियाणा	पानीपत	समालखा	1 पट्टी कलियाणा
---	---------------------	--	---------	--------	--------	-----------------

[फा. सं. NHAI/PIU-Sonipat/DLI-PNP/Land/20-21]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi the 22nd October, 2020

S.O. 3765(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 53 to Km. 54.516 of the NH44, Km. 65.85 to Km. 86.38 of the NH44 for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of HARYANA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH44 in the State of HARYANA.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer	53KM To 54.516KM	HARYANA	SONIPAT	Rai	1 Kundli
2	District Revenue Officer	65.85KM To 86.38KM	HARYANA	PANIPAT	Samalkha	1 Patti Kalyana

[F. No. NHAI/PIU-Sonipat/DLI-PNP/Land/20-21]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.